

परियोजना का नाम:- टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैथोली से नैखरी मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण का प्रस्ताव।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट (प्रमाण-पत्र)

प्रमाणित किया जाता है कि आज दिनांक 19.12.2013 को उपरोक्त प्रयोजन हेतु पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री नत्थीलाल डोभाल वनक्षेत्राधिकारी टिहरी, राजि, नई टिहरी, श्री राजेन्द्र प्रसाद सेमेवाल, वन दरोगा एवं प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री चन्दन सिंह रावत सहायक अभियन्ता एवं श्री हिमांशु नौटियाल अपर सहायक अभियन्ता उपस्थित रहे। संयुक्त निरीक्षण के समय स्थल पर निर्णय लिया गया कि मोड़ों पर जहां कि सबसे अधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे थे संरेखन में आंशिक शंसोधन करते हुए मार्ग निर्माण किया जाएगा तथा जिन स्थानों पर ग्रेड सुधारने हेतु प्रस्तावित संरेखन पूर्व निर्मित कच्चे मार्ग से हटाया गया था, उसे पूर्व निर्मित मार्ग जिसकी वर्तमान औसत चौड़ाई 3.5 से 4.00 मी० तक है पर ही रखा जाएगा जिससे कि प्रभावित वृक्षों की संख्या न्यूनतम हो सके।

संयुक्त निरीक्षण के समय पाया गया कि उपरोक्त प्रयोजन हेतु आरक्षित वन भूमि 1.050 है०, सिविल एवं सोयम वन भूमि 0.420 है० वन पंचायत भूमि शून्य एवं नाप भूमि 0.245 है० प्रभावित होती है। प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है, तथा प्रस्तावित भूमि की मांग न्यूनतम है। प्रश्नगत कार्य जनहित में किया जाना है।

आवेदित वनभूमि में जिन वृक्षों का पातन किया जाना है उनकी सूची आंशिक संशोधित संरेखन के अनुसार अलग से प्रेषित की जाएगी।

इस निर्माण कार्य के अन्तर्गत कोई संरक्षित पुरातत्वीय, पारम्परिक स्थल, रक्षा प्रतिष्ठान नहीं है। इसके अन्तर्गत कोई राष्ट्रीय पार्क वन्य जीव अभ्यारण्य का कोई भाग/हिस्सा नहीं है।

इस भूमि की मांग न्यूनतम एवं क्षेत्र के विकास की दृष्टि से उचित है। इस भूमि के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक भूमि एवं उचित संरेखन उपलब्ध नहीं है।

ह०

ह०

ह०

अभिधा... अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
नई टिहरी (बौराड़ी)

प्रयोक्ता एजेंसी

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो० नि० वि०
बौराड़ी, नई टिहरी

19/12/13

रा० उ० नि० अज...
राजस्व विभाग प्रतिनिधि
जिला:- टिहरी गढ़वाल

वन विभाग प्रतिनिधि

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभाकी...
टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार
जाखणीधार
टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित
जिलाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित
प्रभागीय वनाधिकारी

प्रतिहस्ताक्षरित

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल

वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(For the forest land to be diverted under FCA)

A Proposal has been received by this office from अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 नई टिहरी for diversion under (FCA-1980) of 1-470 Ha. Of forest land non-forestry Purpose. The Project envisages the use of forest land for construction of जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत कैन्थाली से नैखरी मोटर मार्ग निर्माण कार्य widening. The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated ...12/11/2014..

On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/un-classed/Protect forest means 1-470 ha.

The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.2 part-1 is unavoidable and is barest minimum required for the project.

Whether any rare/endangered/unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of: - NO

Whether any protected archeological / heritage site / defense establishment or any other important mounuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required: -

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction. (x)

(b) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act 1980 porvisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached. (√)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

1-470 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति की जाती है।

Place:- New Tehri

Date :- 12-11-2014

(R. P. Mishra)
Divisional Forest Officer
Tehri Forest Division, New Tehri.

N.B. x State the prupose for which the forest land is proposed to be diverted xx out fo (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/2000 FC darterd 16-10-2000 from Ministry of Vnvironment & Forests, Gorerment of India for proposal involving less then 40 hectares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposal involving more than 40 hectares of forest land site inspection report from the conservation of forests is required.